न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 163/2013,(जी.सी.एम.एस. न. 2013/00002) पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. रामजीत
2. बनैं सिंह

} पिस. गोरधन सिंह जाति फौजदार नि0 ग्राम गिरसै तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89
व 188 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांकः 19.06.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1357/2.00 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 को बन्दोवस्त हाल में वादीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 1226 रकबा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 1227 मिन रकबा 17 विस्वा तथा अन्य साविक नम्बरान से बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में रकबा 0.16 हैक्टे0 आराजी वादीगण के पिता गोरधन पुत्र तुल्ली कॉम फौजदार निवासी गिरसै तहसील डीग की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण का पिता सम्बत 2012 के पूर्व से वाहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे तथा वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद से वादीगण उक्त विवादित आराजी पर बतौर वारिस वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। तहसीलदार डीग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है तथा लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्व दावा दायरी से पूर्व हस्व दफा 80 जा.दी. नोटिस मियादी दो माह दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन प्रकरण अर्जेट नेचर का है। इसलिये नोटिस नहीं दिया गया है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 हैक्टे0 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में से वादीगण रकबा 0.16 हैक्टे0 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2015 को सरकार की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि धारा 80 जा.दी.का नाटिस वादीगण के द्वारा नहीं दिया गया है,जोकि आवश्यक होता है। आराजी खसरा नम्बर 1357 रकबा 2.00 हैक्टे0 में से 0.16 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग का कब्जा व काश्त नहीं है। सिद्व करने का दायित्व वादीगण का है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकी दिनांक 18.04.2017 को कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।
2. दादरसी।

उक्तानुसार तनकीयात कायम के पश्चात सम्बन्धित वादी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 हैक्टे0 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में से वादीगण रकबा 0.16 हैक्टे0 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

वकील वादीगण के द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 हैक्टे0 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में से वादीगण रकबा 0.16 हैक्टे0 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वादी के द्वारा दावे की पुष्टि में नकल हाल जमाबन्दी सम्बत 2064–2067, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग, तथा साविक जमाबन्दी सम्बत 2025–2028 पेश की गई। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1357/2.00 हैक्टे0 वाके ग्राम गिरसै तहसील डीग में से रकबा 0.16 हैक्टे0 के वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार है पर हाल राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदारी दिये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner